<u>ऑनलाईन आवेदन करने हेतु</u>
<u>आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया</u>

ऑनलाईन आवेदन करने के लिये आवेदित की जाने वाली दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क को निम्नानुसार किसी भी एक प्रक्रिया द्वारा जमा कराया जा सकता है :–

1. <u>डी.डी. द्वारा भुगतान</u>

- निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि के बराबर डी.डी. (प्रत्येक आवेदन पत्र हेतु एक आवेदन शुल्क) बनवाना होगा।
- उक्त डी.डी. संबन्धित जिला आबकारी अधिकारी जहां आवेदन किया जाना है, के नाम बनवाया जायेगा।
- आवेदन शुल्क के डी.डी. के पृष्ठ भाग पर रजिस्ट्रेशन क्रमांक, आवेदक का नाम, **एकाधिक (Multiple) आवेदन क्रमांक** एवं आवेदन क्रमांक की सूचना आवश्यक रूप से लिखी जानी चाहिये।
- सॉफ्टवेयर से प्रिंट किये गये आवेदन प्रपत्र के साथ उक्त डी.डी. मय वांछित दस्तावेज संलग्न कर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में निर्धारित **समयावधि** तक आवश्यक रूप से जमा कराये जाने होगें।

2. <u>ई–ग्रास चालानों के माध्यम से आवेदन शुल्क निर्धारित बैंक में जमा कराया जाना</u>

इस माध्यम द्वारा आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु ई–ग्रास चालान बनाये जाकर ***<u>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) तथा सेंट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया (CBI) की देश में स्थित किसी भी</u>*** *<u>शाखा में नकद, चेक अथवा डी.डी. द्वारा निर्धारित राशि जमा कराई जा सकती है।</u>* इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

- इस कार्य हेतु आबकारी विभाग के ऑनलाईन आवेदन की वेबसाईट पर ''आवेदक सैक्शन'' में **<u>''बैक में राशि जमा कराने का ई–ग्रास चालान बनाये''</u>** लिंक पर क्लिक करें।
- **<u>''आवेदन क्रमांक एवं मोबाइल नम्बर''</u>** दर्ज कर **''खोजे''** बटन पर क्लिक करें.
- आवेदक द्वारा किये गये समस्त आवेदनों की सूचना प्रदर्शित होगी।
- आवदेन शुल्क जिसका भी चालान बनाया जाना है उसके लिए जमा कराई जाने वाली राशि दर्ज कर ''**मैन्युअल आवेदन चालान**'' बटन पर क्लिक करें, ई–ग्रास की वेबसाईट खुल जाएगी।
- सम्बन्धित जिले में राशि जमा करने के लिए निर्धारित बैंक ब्रांच की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें से उस ब्रांच को सैलेक्ट करे, जिसमें चालान द्वारा राशि जमा कराई जानी है।
- तत्पश्चात् **Pay Now** प्रदर्शित होगा बटन पर क्लिक कर चालान का प्रिंट लिया जाना होगा।
- उक्त चालान द्वारा जिस बैंक का चालान बनाया गया है की सुविधानुसार किसी भी बैंक शाखा में देय राशि जमा करावें

आबकारी विभाग, राजस्थान

- ई-ग्रास चालान को स्कैन कर उसकी सॉफ्टकॉपी (JPG, JPEG अथवा PDF फॉर्मेट में अधिकतम 300 KB साइज़) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपलोड करने हेतु उपलब्ध है |
- उक्त चालानों की सूचना वेबसाईट पर ''**किये गये भूगतान की सूचना दर्ज करें या भुगतान करें**'' लिंक पर उपलब्ध ''भुगतान प्रक्रिया'' फार्म में दर्ज करें।
- प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट पर उपलब्ध ''यूजर मैन्युअल'' का अध्ययन करें।

3. <u>ऑनलाईन भुगतान</u>

ऑनलाईन भुगतान निम्नालिखित प्रक्रियानुसार किया जा सकेगा :–

- इस हेतु आबकारी विभाग के ऑनलाईन आवेदन की वेबसाईट पर आवेदक रजिस्ट्रेशन के पश्चात् आवश्यकतानुसार विभिन्न मदिरा दुकानों के लिए आवेदन करें।
- तत्पश्चात्, वेबसाइट पर ''आवेदक सैक्शन'' में उपलब्ध ''**किये गये भुगतान की सूचना दर्ज करें या भुगतान करें**'' लिंक पर उपलब्ध ''**भुगतान प्रक्रिया**'' फार्म में आवेदन शुल्क जिसका भी भुगतान करना है, के सैक्शन में ''**भुगतान का माध्यम**'' कॉलम में *''आबकारी वेबसाईट के माध्यम ऑनलाईन भुगतान''* ऑप्शन को सलैक्ट करें।
- इस सैक्शन में प्रदर्शित ''भुगतान करें'' बटन पर क्लिक करें ई–ग्रास की वेबसाईट खुलेगी।
- बैंक जिसके माध्यम से ऑनलाईन भुगतान किया जाना है को सेलेक्ट करें तथा **Pay Now** बटन पर क्लिक करें।
- चुने गये बैंक की इन्टरनेट बैंकिंग की वेबसाईट खुलेगी। इस वैबसाईट पर ऑनलाईन भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए ऑनलाईन भुगतान की कार्यवाही को पूर्ण करें।
- E-Challan प्रदर्शित होगा जिसका प्रिंट आवेदक द्वारा लिया जाना चाहिये।
- इसी प्रक्रिया द्वारा ई–ग्रास वेबसाईट एवं आबकारी विभाग की वेबसाईट में मध्य बने कनेक्शन को बिना तोड़े पुनः आबकारी विभाग की वेबसाईट प्रदर्शित होने देवें।
- उक्त प्रक्रिया के अनुसार जिस मद का भुगतान किया गया है, का भुगतान कर दिया जाना स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट पर उपलब्ध ''यूजर मैन्यूअल'' का अध्ययन करें।

4. <u>**ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना**</u>

आवेदक ई-मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं| इस प्रक्रिया में ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन भरा जाकर ई-मित्र किओस्कधारक द्वारा ई-मित्र पोर्टल की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा जिसे आवेदक को ई-मित्र किओस्कधारक को चुकाना होगा | इस माध्यम का उपयोग करने की स्थिति में आवेदक को आबकारी विभाग के पोर्टल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी |

आबकारी विभाग, राजस्थान